

रा.भा./हि.शि.यो. सं.-1

D.O.L./H.T.S. No.-1

हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)
HINDI TEACHING SCHEME (EXAMINATION WING)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE, M.H.A., NEW DELHI

परीक्षा :--मई/नवम्बर.....20

Examination:--MAY/NOV.....20

अंतिम तिथि--15 फरवरी/16 अगस्त

Last date:--15 FEB./16 AUG.

प्रबोध PRABODH
आवेदन-पत्र APPLICATION FORM

पूरक परीक्षा		
I	II	III

नियमित Regular	प्राईवेट Private	गहन Intensive	पत्राचार Corres- pondence	लीला Leela	ऑनलाइन On line

अनुक्रमांक Roll No.....
परीक्षा केंद्र EXAMINATION CENTRE.....

संबंधित कोष्ठक पर √ निशान लगाएं

Put √ marks on the box applicable

1. पूरा नाम (हिंदी में)

Full Name (in English capital Letters)

2. पिता/पति का नाम (हिंदी में)

Father's/Husband's Name (in English capital letters)

3. कार्यालय का नाम तथा पूरा पता (हिंदी में)

Name and full address of the office (in Hindi)

दिनांक.....

Date.....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

Applicant's Signature

हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)
HINDI TEACHING SCHEME (EXAMINATION WING)
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE, M.H.A., NEW DELHI

परीक्षा :- -मई/नवम्बर.....20

Examination:—MAY/NOV.....20

प्रबोध PRABODH
प्रवेश-पत्र ADMISSION CARD

पूरक परीक्षा		
I	II	III

नियमित Regular	प्राईवेट Private	गहन Intensive	पत्राचार Corres- pondence	लीला Leela	ऑनलाइन On line

अनुक्रमांक..... Roll No.....
परीक्षा केंद्र..... EXAMINATION CENTRE.....

संबंधित कोष्ठक पर √ निशान लगाएं

Put √ marks on the box applicable

1. पूरा नाम (हिंदी में)

Full Name (in English capital Letters)

.....
.....

2. पिता/पति का नाम (हिंदी में)

Father's/Husband's Name (in English capital letters)

.....
.....

3. कार्यालय का नाम तथा पूरा पता (हिंदी में)

Name and full address of the office (in Hindi)

.....
.....
.....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

Applicant's Signature.....

उप निदेशक (परीक्षा)

Dy. Director (Exam)

नोट:--प्रवेश-पत्र मांगने पर परीक्षार्थी को केंद्र अधीक्षक/प्राधिकृत व्यक्ति को दिखाना है।

Note:--Examinee must show this admission card on demand to the Centre Supdt./Authorised person.

क.प.उ./P.T.O.

प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय हिंदी निदेशालय, के नियमित/प्राइवेट/गहन/पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी हैं। वे परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

परीक्षा शुल्क रूपए बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक द्वारा उपनिदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पदनाम से संलग्न हैं।

नोट : परीक्षा शुल्क सरकारी उपक्रमों/नियमों/निकायों और बैंकों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

Certified that Shri/Smt./Kum..... is Regular/Private/Intensive/ Correspondence course Examinee of Hindi Teaching Scheme/Central Hindi Training Institute/Central Hindi Directorate. He/ She is eligible to appear in the examination.

Examination fee Rs. vide Bank Draft No. Dated..... in favour of Dy. Director (Exam), H.T.S., New Delhi is enclosed.

Note —Examination fee is compulsory for the employees of Govt. undertakings/Corporations/Autonomous Bodies and Banks.

हस्ताक्षर

Signature.....

हिंदी प्रा./अंश का. हि.प्रा. स. नि. (नियमित/गहन)
H. Pradh./Pt. time H. Pradh./Asstt. Director
(Regular/Intensive)

सहायक निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम/गहन पाठ्यक्रम)
Asstt. Director (Correspondence Course/Intensive Course)

सक्षम अधिकारी [मोहर सहित पूरा पता (प्राइवेट)].....
Competent Authority [Seal and address (Private)]

तारीख.....20.....

Date.....20.....

नोट :--आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक के माध्यम से भेजें।

Note:—Application should be duly forwarded through Regional Dy. Director concerned.

सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी के कार्यालय का
पूरा पता (मोहर सहित)

Officer in Overall Charge
(Seal and full address of the Office)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश
INSTRUCTIONS FOR THE EXAMINEES

1. साधारणतः 15 मिनट देर से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा हाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
Normally the Examinee who is late by more than 15 minutes shall not be allowed in the examination hall.
2. कोई परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
If any Examinee is found resorting unfair means during the examination strict action will be taken against him/her as per rule.
3. प्राईवेट परीक्षार्थी के लिए मौखिक परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है।
It is compulsory for the Private Examinee to appear in the viva-voce test.
4. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी अपने पास कोई अप्राधिकृत पुस्तकें/कागजात न रखें।
Examinee is not allowed to keep any unauthorised book/paper with him/her during the examination.